अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम ओसियां

[illegible]

[illegible] धारा 212 [illegible]

[illegible] 158/2022

[illegible]

9/6/22 प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भेसेर कोटवाली के खसरा नम्बर 334/3 रकबा 01.5661 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के 2/3 भूमि पर दखलदाजी नही करे। किसी अन्य के पक्ष में बेचान इत्यादि नही करे प्रार्थीगण को बेदखल नही करे और नही अन्य से करावे। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पेतृक भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का बाई–बर्ध हक–हिस्सा व कब्जा काश्त है। प्रार्थी को बेदखल कर अप्रार्थीगण अपने हक–हिस्से अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहते है जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही मौके राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति दावे के रोज की कायम रखी जावे। इसीलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम भेसेर कोटवाली के खसरा नम्बर 334/3 रकबा 01.5661 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी के हक–हिस्से तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति दावे के रोज की कायम रखी जावे।

नोटः– **यह स्थगन आदेश 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 के तहत रास्ते संबधि विधिनुसार की जाने वाली कार्रवाही को प्रभावित नही करेगा। यदि प्रार्थी/अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरे का कोई समर्पण करवाना चाहते है तो स्थगन का प्रभाव नही रहेगा।**

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18/7/22 को पेश हो।

सहायक [illegible]

13/7 पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली दिनांक 12/9/22 [illegible]

26.7.22

पत्रावली शीघ्र सुनवाई आवेदन पत्र पेश तलब की गई / सुन बाद जाँच विद्वान आई.डी.ओ. मुकदमा उक्त पत्रावली को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। वादी / प्रतिवादी अधिवक्तागण को पक्षकारान द्वारा विद्वान [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली पर हस्ताक्षर किए [illegible] खारिज की जाती है। लेकर दाखिल पत्रावली [illegible] शुमार [illegible] दफ्तर होवे।

पत्रावली आओवाला इवारा निस्तारण के पश्चात इस्ती [illegible] पर लगाया की जाती है।

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible], [illegible]